संख्या-495/2022/आई/217675/001-65-Budget-2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विधायी अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-794/79-वि-1-21-1-क- 23-21, दिनांक 24.08.2021 तथा पर्यटन अनुभाग के पत्र संख्या-2539/41-2021-04(गठन)/2020, दिनांक 12.10.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में ''उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत मद संख्या 18-उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट मद में विभिन्न लेखाशीर्षों/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि को निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-2 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

मद संख्या	प्रावधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रू0 150.00	रू0 37.50
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	रू0 200.00	रू0 100.00

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व इन मदों के अन्तर्गत पूर्व वर्षों में कराये गये कार्यों का कार्यवार विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त होने की पुष्टि कर ली जायेगी एवं तदुपरान्त भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए संगत वित्तीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में क्रमवार अवशेष भुगतान किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन मदों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य योजना बजट की उपलब्धता के अनुसार ही तैयार किया जायेगा और यदि अपरिहार्य स्थितियों में बजट की सीमा से अधिक व्यय का अनुमान हो तो संगत नियमों के अन्तदर्गत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 37,50,000 (रुपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शीर्षक 3452808001800 उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3452808001800 उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-495/2022/आई/217675/001-65-Budget-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट।
4. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6. निदेशक, पर्यटन मुख्यालय, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।